आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Developing Castes Welfare), Government of Gujarat

Loan for Study Abroad (Developing Castes)

गुजरात सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च पढ़ाई के लिए 4% साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपये तक का लोन देती है।

क्या मिल सकता है

कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष या दो सेमेस्टर के डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और पीएचडी कोर्स के लिए सालाना 4% साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपये तक का विदेश अध्ययन लोन।

किसके लिए है

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के वे विद्यार्थी जिन्हें विदेश के कोर्स में प्रवेश मिला है और जिनके 12वीं में जरूरी अंक हैं।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी के 12वीं में कम से कम 60% अंक हों, या NT/DNT, अधिक पिछड़े और अति पिछड़े समूहों के लिए 50%।
- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के लिए परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- कोर्स कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष या कम से कम दो सेमेस्टर का डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा या पीएचडी होना चाहिए।
- विद्यार्थी को विदेश जाने से पहले या विदेश जाने के छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- एक सक्षम जमानतदार देना होगा, और मंजूरी के बाद अभिभावक की संपत्ति (या जमानतदार की) सरकार के पास गिरवी रखनी होगी।
- वापसी पढ़ाई पूरी होने के एक साल बाद मासिक या तिमाही किस्तों में शुरू होती है। लोन 10 साल में और ब्याज 2 साल में चुकाना होता है।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र
- पारिवारिक आय का प्रमाणपत्र, इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16
- अंकतालिका, डिग्री प्रमाणपत्र और प्रतिशत के प्रमाण
- विदेशी संस्था का ऑफर लेटर, I-20 या स्वीकृति पत्र
- विद्यार्थी के पासपोर्ट और उस देश के वीजा की प्रति
- हवाई टिकट की प्रति
- अभिभावक की संपत्ति का प्रमाण और मूल्यांकन रिपोर्ट

आवेदन कैसे करें

1. वेबसाइट esamajkalyan.gujarat.gov.in पर जाएं, निदेशक विकसित जाति कल्याण का भाग खोलें और विदेश अध्ययन के लिए लोन चुनकर आवेदन फॉर्म और कागजात की सूची देखें।
2. ऑनलाइन फॉर्म भरें, कागजात अपलोड करें और जमा करें। प्रिंटआउट निकालकर अपलोड किए कागजात उसके साथ लगाएं।
3. प्रिंटआउट की दो प्रतियां कागजात सहित अपने जिला कार्यालय में जमा करें, जो आवेदन की जांच करता है। जानकारी अधूरी हो तो फॉर्म पूरा करने के लिए लौटा दिया जाता है।
4. जिला कार्यालय आवेदन निदेशक, विकसित जाति कल्याण को भेजता है, जिनका कार्यालय आवेदनों की क्रम से जांच करके आदेश आपको और जिला कार्यालय को भेजता है।
5. मंजूरी के बाद जिला कार्यालय से तय नमूने का गिरवी पत्र लेकर उसका पंजीकरण कराएं। मूल पंजीकृत गिरवी पत्र जमा होने पर रकम विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/showpage.aspx?contentid=1520
आधिकारिक आवेदन: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?ServiceID=PEwi/uTynrH3XQkd5KlDcQ==
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-ddcw-study-abroad-loan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।